

कार्यालय कलेक्टर (अल्प बचत) जिला रतलाम म.प्र.

::: सूचना के अधिकार 2005 :::

बिन्दु क्रमांक 1:- प्रशासनिक प्रतिवेदन में सामान्यतया सरचनात्मक ढांचा दिया जाता है । कार्यालयीन स्तर पर यदि यह उपलब्ध न हो तो पृथक से बनाकर प्राप्त में डाला जायें ।

जिला अल्प बचत अधिकारी

क्षेत्रीय सहायक

बिन्दु क्रमांक 2 :- कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों के नाम पदनाम कर्तव्य तथा परिलब्धियों संबंधी जानकारी दी जाए ।

अ.क्र.	नाम एवं पदनाम	दायित्व
1	2	3
1	श्री अजय श्रीवास्तव जिला अल्प बचत अधिकारी	अल्प बचत योजना अन्तर्गत लक्ष्यपूर्ति संबंधी समस्त कार्य ।
2	अर्चना भटनागर क्षेत्रीय सहायक अल्प बचत	अल्प बचत योजना संबंधी समस्त कार्य ।

बिन्दु क्रमांक 3 :- कार्यालय में अपनाई जानेवाली निर्णय प्रक्रिया (नस्ती खोलेजाने से निर्णय लेने तक) को रेखा चित्र की सहायता से दिखाई जाये ।

पत्र का रजिस्ट्रर पर अंकन, नस्ती का जिला अल्पबचत अधिकारी को प्रस्तुतीकरण

जिला अल्प बचत अधिकारी की टीप उपरान्त नस्ती प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाती है ।

प्रभारी अधिकारी द्वारा नस्ती का परीक्षण कर संभावित निर्णय तथा परिणामों को अंकित कर निर्णय हेतु अपर कलेक्टर / कलेक्टर को प्रस्तुत की जाती है

अपर कलेक्टर / कलेक्टर द्वारा निर्णय / आदेश उपरान्त नस्ती कार्यवाही पूर्व करने एवं रेकार्ड संधारण हेतु शाखा को हस्तान्तरीत की जाती है ।

बिन्दु क्रमांक 4 :- कार्यालय के द्वारा समय सीमा में कार्य निपटाने गुणवक्ता तथा मात्रा संबंधी मापदण्ड तय किये जाने संबंधि जानोरी दी जाये । यदि इस तरह के मापदण्ड तय नहीं हो तो इस दिशा में कार्यवाही विभाग स्तर पर की जाये ।

शासन निर्देशानुसार समस्त कार्य शत प्रतिशत गुणवक्ता पूर्वक समय सीमा में पूर्ण किये जाते है ।

बिन्दू क्रमांक 5:- कार्यालय में उपयोग होने वाले तथा उपलब्ध अधिनियम नियम रेगुलेशन मैनुअल की सूची तैयार की जाये ।

एजंन्सी एवं अल्प बचत योजनाओं संबंधी नियम " A.N. DUREJA ki Book "Post Office Small Savings Schemes" में संकलित है ।

1. एस.ए.एस एजेंसी म.प्र. शासन विभाग, भापाल के ज्ञापन क्रमांक 1590/4बी-1/60 दिनांक 1.9.60 की कंडिका 22 के द्वारा जारी की जाती है ।
2. एम.पी. के वी.वाय (आर.जी) एजेंसी राष्ट्रीयबचत आयुक्त नागपुर के पत्र क्रमांक 12684-712/टे कनि/एजेन्सी/21-2/2002 दिनांक 21-11-2002 के आदेशानुसार प्रदान की जा रही है ।
3. पी.पी.एफ एजंन्सी म.प्र. शासन वित्त विभाग भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 2539/2550/2004/ई/चार दिनांक 9.9.04 द्वारा प्रदान की जा रही है । इस के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी अल्प बचत योजना संबंधी विभिन्न नियम एवं निर्देशानुसार कार्यवाही की जाती है ।

बिन्दु क्रमांक 6 :- कार्यालय में संधारित किये जाने वाले विभिन्न अभिलेखों की सूची तथा उसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाये ।

1. अल्प बचत एस.ए.एस एजेंट नियुक्ति की पंजी - समस्त अभिकर्ताओं की पृथक - पृथक नस्तियां संधारित है ।
2. महिला प्रधान बचत योजना आर.डी के एजेंट नियुक्ति की पंजी :- समस्त आर डी एजेंट की पृथक - पृथक नस्तियाँ संधारित है ।
3. पी.पी.एफ एजेंट नियुक्ति की पंजी :- समस्त पी.पी.एफ एजेंट की पृथक - पृथक नस्तियाँ संधारित है ।

4. लेखा संबंधी पंजीयों

1. केश बुक
2. बिल रजिस्टर
3. एक्वोटेस रोल रजिस्टर
4. जी.पी.एफ रजिस्टर
5. बी.टी.वी
6. चेक रजिस्टर
7. व्हाअचर फायलें

बिन्दु क्रमांक 7:— ऐसी परामर्शदात्री समितियों की संरचना जिसके सदस्य जन प्रतिनिधि हैं, उन के संबंध में वांछित जानकारी जैसे नाम, आदेश क्रमांक निर्माण संबंधी सर्कुलर तथा दायित्व एवं कर्तव्य की जानकारी दी जानी है ।

विभाग की ऐसी कोई समिति नहीं है , जिसमें जन प्रतिनिधि सदस्य है ।

बिन्दु क्रमांक 8:— कार्यालय के अंतर्गत आने वाली बोर्ड , परिषद एवं समितियों के सदस्यों के नाम अर्हता गठन संबंधि आदेश चार्टर अनुसार से संबंधी के निर्देश आम नागरिक की प्रतिभागिता तथा कार्यवाही विवरण की उपलब्धता संबंधी जानकारी दी जाये ।

निरंक

बिन्दु क्रमांक 9-10 :- कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम पदनाम वेतन तथा उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी ।

आ.क्र.	नाम अधिकारी	वेतन	सुविधा
1	2	3	4
1	श्री अजय श्रीवास्तव जिला अल्प बचत अधिकारी	8000 –13500	शासकीय दूरभाष(कार्यालय)
2	श्रीमती अर्चना भटनागर क्षेत्रीय सहायक अल्प बचत	4000-6000	शासकीय दूरभाष(कार्यालय) शासकीय आवास

बिन्दु क्रमांक 11:— कार्यालय के लिए वर्षानुसार मदवार बजट, आवंटन तथा उसके उपयोग संबंधी जानकारी दी जावेगी ।

मांग संख्या -6-2047 अन्य राज्य कोशीय सेवाये, 103 अल्प - बचतों को बढावा

अ0क0	मद	2006-2007 में प्राप्त आबंटन	30-11-2007 तक व्यय
1	001 वेतन	63600	42400
2	003 महंगाई भत्ता	19080	15794
3	006 अन्य	2544	0
4	009 चिकित्सा व्यय	2400	624
5	21 001 यात्रा भत्ता	6000	2258
6	011 अनाज अग्रिम	2000	निरंक
7	016 त्यौहार अग्रिम	—	—
22	कार्यालय व्यय		
8	001 डाकतार	1622	0
9	002 दूरभाष	3243	2384
10	005 बिजली प्रभार	1081	285
11	006 वर्दिया	—	—
12	007 लेखन सामग्री	2162	—
13	008 अन्य आकस्मिक व्यय	2162	2161
महायोग		1,37,694	82198
2696	22 प्रकाशन	2400	1800
14			
15	14 पारितोशित	—	—
16	35 विज्ञापन प्रचार प्रसार	—	—
17	31 (008)एजेन्ट कमीशन	—	—
महायोग -		2400	—

बिन्दु क्रमांक 12:— विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कार्यक्रमों की सूची हितग्राहियों के चयन की प्रक्रिया, वित्तीय सहायता देने वाली संस्था वर्षवार आवंटित राशि तथा हितग्राहियों की संख्या दी जानी है तथा इसे प्रतिमाह अद्यतन करने की व्यवस्था अनुवस्थित की जाये ।

विभाग अल्प बचत से संबंधित है । विभाग अन्तर्गत कोई कार्यक्रम अथवा हितग्राही नहीं है ।

बिन्दू क्रमांक 14 :- वास्तविक उपलब्ध जानकारीयों की सूची क्षेणी तथा उसकी प्रकृति

1. अल्प बचत एजेन्सी संबंधी जानकारी तीन प्रकार की एजेन्सी प्रदाय की जाती है । एम. पी. के वी.वाय (महिला एजेन्सी) महिला ही ले सकती है ।
2. एस.ए.एस अल्प बचत एजेन्सी महिला /पुरुष दोनों ले सकते है ।
3. पी.पीएस. एजेन्सी, एस.ए.एजेन्ट ही ले सकते है ।

एम.पी.के.बी.वाय / पी.पी.एफ / एस.ए.एस एजेंसी के लिए पात्रता

1. आवेदक की न्यूनतम हायर सेकणरी पास
2. आवेदक के निकटतम रिश्तेदार डाकधर में नहीं होने संबंधी डिक्लेरेशन ।
3. आवेदक के पति / पिता अगर शासकीय कर्मचारी हो तो एजेंसी देने के संघ में एन.ओ. सी कार्यालय प्रमुख की ।
4. वार्ड पर्षद द्वारा निवासी एवं चरित्र प्रमाण पत्र । ग्रामीण क्षेत्र का आवेदक हाने पर पंचायत का प्रमाण पत्र व एजेंसी की अनुशंसा ।
5. राशन कार्ड की फोटो कोपी / स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र
6. उपरोक्त विवरण के साथ कागज पर आवेदन जिस में वर्तमान कार्य का उल्लेख किया है ।

अल्प बचत योजनायें

1. बचत बैंक खाता (एस.बी)
2. 5 वर्षीय आवर्ती जमा खाता (आर.डी)
3. सावधि जमा खाता (टी.डी)
4. मासिक आय योजना (एम.आय.एस)
5. राष्ट्रिय बचत पत्र (एन.एस.सी)
6. किसान विकास पत्र (के.वी.पी)
7. लोक भविष्य निधि (पी.पी.एफ)
8. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (2004)

उक्त समस्त योजनायें डाकधर में अभिकर्ताओं के माध्यम से डाकधर में संचालित होती है ।

बिन्दु क्रमांक 15:- आम नागरिक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध सुविधायें जैसे पुस्तकालय पब्लिक काउन्टर आदि ।

अल्प बचत से संबंधित जानकारी कार्यालय कलेक्टर (अल्प बचत) कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है ।

बिन्दु क्रमांक 16 :- लोक सूचना अधिकारी से संबंधित जानकारी दी जानी है ।

अपीलीय अधिकारी	1. श्रीमती सुधा चौधरी संचालक अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज भोपाल	अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज म.प. खण्ड (भूतल) सतपुडा भवन भोपाल	0755 2571787
	2. श्री महेन्द्र ज्ञानी कलेक्टर रतलाम	कार्यालय कलेक्टर जिला रतलाम	07142 270400 (कार्या) 07412 270401 (फेक्स)
लोक सूचना अधिकारी	श्री अजय श्रीवास्तव जिला अल्प बचत अधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (अल्प बचत) जिला रतलाम	07412 270413 (क) 07412 267725 (आ)
सहायक	अर्चना भटनागर	कार्यालय कलेक्टर (अल्प	07412 270413 (क)

लोक सूचना अधिकारी	क्षेत्रीय सहायक अल्प बचत	बचत) जिला रतलाम	07412 2445356 (आ)
-------------------------	--------------------------	-----------------	-------------------

बिन्दु क्रमांक 17 :- अन्य कोई प्रासंगिक जानकारी जिसका सीधा संबंध आम नागरिक से हो तो उन जानकारी का भी आलेखन कि जावे।

निरंक